न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : मनसुख राम डामोर, RAS

पत्रावली संख्या : **28/23 (विविध)**

GCMS No. : 2023/124

अनवान्

1. श्री मुंशी खां उर्फ मुनीर खां पिता सलार मोहम्मद उर्फ सरदार मोहम्मद फकीर मुसलमान निवासी मावली तह. मावली।
2. बुशरा उर्फ सोनिया पुत्री सलार मोहम्मद उर्फ सरदार मोहम्मद फकीर मुसलमान निवासी सिन्देसरा कला तह. रेलमगरा।

..............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री अमजद खां पिता सरदार मोहम्मद निवासी मावली तह. मावली।
2. श्री अमीन खां पिता नियाज मोहम्मद निवासी मावली तह. मावली।

2/1 श्री ओसाफ खां पिता आमीन खां मुसलमान निवासी मावली तह. मावली।

2/2श्रीमती नीलोफर खा पत्नी आमीन खा मुसलमान निवासी मावली तह. मावली।

2/3 माहिनुर पुत्री आमीन खां मुसलमान निवासी मावली तह. मावली।

3. श्री अलताफ पिता नियाज मोहम्मद निवासी मावली तह. मावली।
4. श्री असरफ पिता नियाज मोहम्मद निवासी मावली तह. मावली।
5. श्री इकबाल खा पिता नियाज मोहम्मद निवासी मावली तह. मावली।
6. श्री ओसाफ खां पिता अमीन खां निवासी मावली तह. मावली।
7. श्रीमती खेरूनिशा पत्नी सरदार मोहम्मद निवासी मावली तह. मावली।
8. श्री निशार खां पिता नियाज मोहम्मद निवासी मावली तह. मावली।

8/1 मकसुदा बानो पत्नी निशार खां मुसलमान निवासी मावली तह. मावली।

8/2 मोहिनुदीन पुत्र निशार खां मुसलमान निवासी मावली तह. मावली।

8/3 कोसर बानु पुत्री निशार खां मुसलमान निवासी मावली तह. मावली।

9. श्रीमती नीलोफर खां पत्नी अमीन खां निवासी मावली तह. मावली।
10. फिरोजा पिता सरदार मोहम्मद निवासी मावली तह. मावली।
11. मेरून पिता सरदार मोहम्मद निवासी मावली तह. मावली।
12. रूबीना पिता सरदार मोहम्मद निवासी मावली तह. मावली।
13. रियाज खां पिता सरदार मोहम्मद निवासी मावली तह. मावली।
14. शबनम पिता सरदार मोहम्मद निवासी मावली तह. मावली।
15. शरीफ पिता नियाज मोहम्मद निवासी मावली तह. मावली।
16. शहनाज पिता सरदार मोहम्मद निवासी मावली तह. मावली।
17. सरीफन पत्नी सरदार मोहम्मद निवासी मावली तह. मावली।
18. सलीम खां पिता सरदार मोहम्मद निवासी मावली तह. मावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:54:49 IST
Reason: SelfAttested

19. समीम बालु पिता नियाज मोहम्मद निवासी मावली तह. मावली।
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
21. पटवारी, पटवार हल्का मावली तह. मावली।

......................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री ललित वसीटा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री जितेन्द्र नागदा, अधिवक्ता विपक्षी सं. 1, 7, 10, 11, 13 से 15,17,20

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 25.07.2024

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली की आराजी नम्बर 2483, 2484, 2485, 2486 किता 4 रकबा 0.9875 हेक्टेयर उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण संख्या 1, 2 का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 में हिस्से अनुसार दर्ज हैं।
2. यहकि प्रार्थी संख्या 1 व 2 ग्राम मावली ग्राम पंचायत मावली तहसील मावली के निवासी है तथा प्रार्थना पत्र कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम मावली ग्राम पंचायत मावली में स्थित है प्रार्थीगण संख्या 1 का वास्तविक नाम जमाबन्दी में संख्या 11 पर दर्ज मुनिर खां न होकर मुंशी खां है है तथा प्रार्थीगण संख्या 2 का वास्तविक नाम सोनिया न होकर बुशरा है तथा ग्राम मावली ग्राम पंचायत मावली में मुनीर खां व सोनिया नाम के कोई व्यक्ति नही रहते है बल्कि मुनीर का ही सही नाम मुंशी खां है अर्थात मुंशी खां व मुनीर खां दोनो एक ही व्यक्ति है तथा सोनिया का ही सही नाम बुशरा है अर्थात बुशरा व सोनिया एक ही व्यक्ति है। इसी प्रकार ये दोनों एक ही पिता सलार मोहम्मद उर्फ सरदार मोहम्मद के पुत्र व पुत्री हैं प्रार्थी संख्या 1 को ग्राम पंचायत मावली द्वारा कमांक ग्रा.प.मा./191 दिनांक 09/03/2023 तथा प्रार्थी संख्या 2 को ग्राम पंचायत सिन्देसरा कलां पंचायत समिति रेलमगरा द्वारा कमांक ग्रा.प.सि./2022–2023/24 दिनांक 16/03/2023 के द्वारा प्रमाणित किया गया है जिसकी प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है तथा ग्राम मावली पटवार हल्का मावली की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 392 नया एवं 392 पुराना में मुनीर खां पिता सरदार मोहम्मद एवं सोनिया पिता सरदार मोहम्मद दर्ज है जिसे संशोधित किया जाकर मुंशी खां पिता सलार मोहम्मद एवं बुशरा पिता सलार मोहम्मद दर्ज किया जाना नितान्त आवश्यक है। ग्राम मावली पटवार हल्का मावली की जमाबन्दी इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।
3. यहकि प्रार्थना पत्र का कारण तब उत्पन्न हुआ जब प्रार्थीगण ने उक्त गलत रुप से दर्ज नाम को संशोधित करने हेतु पटवारी हल्का मावली से दिनांक 5.3.2023 को निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:54:49 IST
Reason: SelfAttested

किया तो उन्होंने इन्कार कर दिया और कहा की माननीय न्यायालय के आदेश के बिना उक्त संशोधन किया जाना सम्भव नहीं है तब से उत्पन्न होकर आज दिनांक तक जारी है तथा जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र आप माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है।

4. यहकि विपक्षीगण सं. 1 से 20 तक सहखातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है, इनसे प्रार्थीगण को कोई रिलीफ नही चाहिये।

5. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का नाम मुनीर खां के बजाय मुंशी खां पिता सलार मोहम्मद व प्रार्थी संख्या 2 का नाम सोनिया के बजाय बुशरा पिता सलार मोहम्मद दर्ज फरमाया जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत है।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 2/1 से 2/3, 3 से 6, 8/1 से 8/3, 9, 12, 16, 18, 19 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी सं. 1, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20 द्वारा जवाब मय काउन्टर प्रतिवाद पेश कर निवेदन किया कि विपक्षीगण ग्राम मावली ग्राम पंचायत मावली तहसील मावली के निवासी है तथा प्रार्थना पत्र कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम मावली ग्राम पंचायत मावली में स्थित है विपक्षीगण संख्या 1, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17 के पिता/पति सलार मोहम्मद उर्फ सरदार मोहम्मद के पुत्र व पुत्री व पत्नी हैं विपक्षी संख्या 20 का नाम सलीम बानू न होकर शमीम बानू पिता नियाज मोहम्मद मुसलमान है तथा उक्त विपक्षीगणों के नाम एवं पिता के नाम से ग्राम पंचायत मावली में उपरोक्त के अलावा अन्य कोई निवास नहीं करता है। विपक्षीगण को ग्राम पंचायत मावली द्वारा क्रमांक ग्रा.प.मा./ SPL दिनांक 12/07/2023 के द्वारा प्रमाणित किया गया है जिसकी प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है तथा ग्राम मावली पटवार हल्का मावली की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 392 नया एवं 392 पुराना में है विपक्षीगण संख्या 1, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17 के पिता/पति का नाम सरदार मोहम्मद दर्ज है जिसे संशोधित किया जाकर सलार मोहम्मद दर्ज किया जाना नितान्त आवश्यक है। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 20 का नाम सलीम बानू के बजाय शमीम बानू पिता नियाज मोहम्मद दर्ज किया जाना नितान्त आवश्यक है।

7. अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में विपक्षीगण संख्या 1, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17 के पिता/पति का नाम सरदार मोहम्मद के बजाय सलार मोहम्मद दर्ज फरमाया जावे इसी प्रकार विपक्षी संख्या 20 का नाम सलीम बानू के बजाय शमीम बानू दर्ज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:54:49 IST
Reason: SelfAttested

8. राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि रिपोर्ट भूअभिलेख निरीक्षक मावली एवं पटवारी हल्का मावली अनुसार प्रार्थी सख्या 01 श्री मुशीखां का आम बोलचाल का नाम मुनीरखां एवं प्रार्थी संख्या 02 बुशरा का आम बोलचाल का नाम सोनिया है जबकि समस्त सरकारी दस्तावेजों में प्रार्थी सख्या 01 का नाम मुशीखां एवं प्रार्थी संख्या 02 का नाम बुशरा है। इसी प्रकार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1. 7. 10. 11, 13, 14, 15, 17 के किता का नाम सरदार मोहम्मद न होकर सलार मोहम्मद है। जबकि राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 01 का नाम मुनीर खां एवं प्रार्थी संख्या 02 का नाम सोनिया तथा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1. 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17 के पिता का नाम सरदार मोहम्मद दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किया गया एवं पेनकार्ड, आधार कार्ड की प्रति पेश की गई। अप्रार्थी फिरोजा के पिता का नाम पेनकार्ड में सरदार मोहम्मद ही दर्ज है। अतः रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक मावली एवं पटवारी हल्का मय मौका पर्चा, जमाबन्दी नकल एवं समस्त दस्तावेज मूल ही सलंग्न कर श्रीमान् की सेवा में सादर प्रेषित है।

9. हमने प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को सुना। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार संशोधन किया जाने का निवेदन किया।

10. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 26.02.2024 का अवलोकन किया। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी संख्या 01 का नाम मुंशी खां को आम बोलचाल में मुनीर खां कहते थे तथा प्रार्थी सं. 2 बुशरा को आम बोलचाल में सोनिया कहते थे। इसी प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17 के पिता का नाम सरदार मोहम्मद न होकर सलार मोहम्मद है। प्रार्थी सं. 1 एवं प्रार्थी सं. 2 के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत मावली एवं ग्राम पंचायत सिन्देसर कलां भी प्रमाण पत्र दिया है कि प्रार्थी सं. 1 का नाम मुंशी खां है तथा प्रार्थी सं. 2 का नाम बुशरा हैं। प्रार्थी सं. 1 के आधार कार्ड एवं प्रार्थी सं. 2 के पेन कार्ड में भी प्रार्थी सं. 1 का नाम मुंशी खां पिता सलार मोहम्मद तथा प्रार्थी सं. 2 का नाम बुशरा पिता सलार मोहम्मद दर्ज हैं। इसी प्रकार प्रार्थीगण एवं विपक्षी सं. 1, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17 के भी दस्तावेजों में पिता का नाम सरदार मोहम्मद न होकर सलार मोहम्मद दर्ज हैं। अतः प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एवं विपक्षीगण का प्रतिवाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:54:49 IST
Reason: SelfAttested

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एवं विपक्षीगण का प्रतिवाद अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मावली को आदेशित किया जाता है कि मौजा मावली पटवार हल्का मावली की आ.न. 2483, 2484, 2485, 2486 किता 4 रकबा 0.9875 हेक्टेयर भूमि में प्रार्थी सं. 1 का नाम मुनीर खां पिता सरदार मोहम्मद के बजाय मुंशी खां उर्फ मुनीर खां पिता सलार मोहम्मद उर्फ सरदार मोहम्मद, प्रार्थी सं. 2 का नाम सोनिया पुत्री सरदार मोहम्मद के बजाय सोनिया उर्फ बुशरा पिता सरदार मोहम्मद उर्फ सलार मोहम्मद तथा विपक्षी सं. 1, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17 के पिता का नाम सरदार मोहम्मद के बजाय सलार मोहम्मद उर्फ सरदार मोहम्मद संशोधन किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
उपखण्ड अधिकारी
मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:54:49 IST
Reason: SelfAttested